

प्रेषक,

ए0एस0 पांगती,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 21/11/2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में विधान सभा क्षेत्र-कालाढूंगी के अन्तर्गत विभिन्न 04 कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

सहोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र 04, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 6.55 किमी० है तथा विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 186.75 लाख (₹ एक करोड़ छियासी लाख पित्तहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् 04 कार्यों हेतु ₹ 0.40 लाख (₹ चालीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i) विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।

(iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

(vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(ix) यदि संलग्न कार्यों में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड व्यौरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2017 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्य) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xiii) विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 0.40 लाख का बजट आबंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं०-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22, के अन्तर्गत अलॉटमेन्ट आई0डी0 के द्वारा आपको आबंटित कोड सं०-4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-1078/XXVII(2)/2016 दिनांक 04 जनवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ए०एस० पांगती)
उप सचिव

संख्या- ——— / 111(2)/17-69(प्रा०आ०)/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
3. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोनिवि., उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
7. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ए०एस० पांगती)
उप सचिव

क. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	विभागीय टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-कालाढूंगी के अन्तर्गत ग्रामसभा हरिपुर नायक के सैनिक कालौनी का पी०सी० द्वारा पुनः निर्माण कार्य।	2.500	35.92	0.10
2	जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-कालाढूंगी के अन्तर्गत ग्राम पनियाली (कठघरिया) में सुयाल ईट सप्लायर्स से आगे दाहिनी ओर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.300	17.92	0.10
3	जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-कालाढूंगी के विकास खण्ड हल्द्वानी के अन्तर्गत ग्राम सभा चांदनी चौक घुडदौड़ा के ग्राम हरिपुर में लिंक रोड़ का नव निर्माण कार्य।	0.300	14.94	0.10
4	जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-कालाढूंगी के अन्तर्गत ग्राम भगवानपुर विचला, पूर्व द्वारिकापुरी (गैस गोदाम रोड़) कालिका व छड़ायल नयाबाद, आर०टी०ओ० रोड़, शिवपुरम के आन्तरिक मार्गों का पुनः निर्माण एवं नव निर्माण कार्य।	3.450	117.97	0.10
कुल :-		6.55	186.75	0.40

(कुल ₹ चालीस हजार मात्र)

(ए०एस० पांगती)

उप सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Secretary, PWD (S038)

अटन पत्र संख्या - 24/III(2)/16-69(P.E)/2016

अलोटमेंट आई डी - S1701220090

अनुदान संख्या - 022

आवंटन पत्र दिनांक - 04-Jan-2017

HOD Name - Chief Engineer PWD (4227)

- 1: लेखा शीर्षक 5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04 - जिला तथा अन्य सड़के
- 800 - अन्य व्यय
- 03 - राज्य सेक्टर
- 02 - नया निर्माण कार्य

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - बृहत निर्माण कार्य	9240000	40000	9280000
	9240000	40000	9280000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

40000

(असिस्टेंट सचिव प्रशासकीय)
सचिव, लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड शासन



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwd@nic.in

पत्रांक- 48 / 20 याता0'क' / 2017

दिनांक- 09 .01.2017

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति सम्बन्धित खण्डीय कार्यालयों को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वेबसाइट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड